



संख्या : 20/2026/बी-2-164/दस-2026-244/2026

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 17 अगस्त, 2026 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2026-2027 का अनुपूरक) अधिनियम, 2026 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 28 सन् 2026) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दी गयी व्यवस्थानुसार निम्नवत् आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें -

(1) वित्तीय वर्ष 2026-2027 की शेष अवधि में योजनाओं / परियोजनाओं पर दिनांक 31 मार्च, 2027 तक व्यय / वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(2) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य सरकार की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । तदनुसार निदेशित किया जाता है कि प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी.एल.ए. खातों में जमा किये जाने का प्रस्ताव नहीं करेंगे ।

(3) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इन्हें दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय स्वीकृतियों सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायें ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 20/2026/बी-2-164(1)/दस-2026-244/2026, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
- 5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
- 6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 8 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 9 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 10 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
- 11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 12 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 13 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।